न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थीः— राज. सरकार जरिए पटवारी हल्का पीह

अप्रार्थीः— श्री पार्वती देवी w/o स्व. मोहनलाल निवासी पीह अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 128/19

निर्णय दिनांकः— 26/6/19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीह ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में सरहद पीह के खसरा नम्बर 719 में किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा .0081 है. भू में पत्थर से पक्की दिवार कर अतिक्रमण किया है जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी पार्वती देवी ने दिनांक 29.5.19 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा पीह के खसरा नम्बर 719 किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा .0081 की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3 रूपये प्रति हैक्टैयर की दर से अतिक्रमित रकबा .0081 भूमि के .0243 रूपये लगान का 50 गुणा 2 /— अक्षरे दो रुपए रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालाना रिपोर्ट पेश।

निर्णय आज दिनांकः— 26.6.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा

उप तहसीलदार पीलवा